परीक्षा नियंत्रक

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी – 221002

पत्रांक : प0नि0 / प0के0– निर्देश(प0सा0) / 570 / 2020

दिनांक : 22 जून, 2020

सेवा में,

प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष,
समस्त परीक्षा केन्द्र,
जनपद–वाराणसी, चन्दौली, भदोही, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।

विषयः **परीक्षा केन्द्रों पर कोविड–19 के सम्बन्ध शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देश के सापेक्ष सुविधाओं के सम्बन्ध में।**

महोदय,

मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–3 / 2020 / 697 / 2020–16(11) / 2014 टी0सी0–3 दिनांकः 19 जून, 2020 में उल्लेख है कि राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा दिनांक 30 जून, 2020 के बाद प्रारम्भ की जायेगी।

तत्क्रम में कोविड–19 के दृष्टिगत उक्त परीक्षाओं के संचालन हेतु निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय–

1. परीक्षा केन्द्र पर संस्थान द्वारा पर्याप्त सेनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। प्रवेश–द्वार पर हाथों को कीटाणु–रहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सेनिटाइजर का प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।
2. परीक्षा केन्द्रों पर तैनात शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा छात्रों के प्रवेश के समय इन्फ्रारेड थर्मामीटर के माध्यम से उनके तापमान लेने तथा उनके द्वारा फेस–मास्क, फेस कवर का पालन सुनिश्चित कराया जाय।
3. परीक्षा केन्द्रों पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाय। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय कि छात्रों की अधिक संख्या में उपस्थिति को दृष्टिगत एक ही स्थान पर भीड़भाड़ न हो।

कोविड–19 के प्रसार को दृष्टिगत रखते हुये शासन के दिशा–निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय की अवशेष वार्षिक परीक्षाएं एवं ईवेन सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई माह में प्रस्तावित है। तत्क्रम में समस्त परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष / प्राचार्य से अनुरोध है कि निम्नवत सूचनाएं 03 तीन अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय (परीक्षा सामान्य विभाग) में लिखित रूप अवश्य उपलब्ध करा दें–

1. परीक्षा केन्द्र पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये कुल कितने परीक्षार्थियों को बैठाने सुविधा उपलब्ध है।
2. परीक्षा केन्द्र को जिला प्रशासन द्वारा कोविड–19 के कारण अधिग्रहित किया गया है अथवा नहीं।
3. परीक्षा केन्द्र पर तैनात शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा छात्रों के प्रवेश के समय इन्फ्रारेड थर्मामीटर के माध्यम से उनके तापमान लेने की सुविधा है अथवा नहीं।
4. परीक्षा केन्द्र के समस्त परीक्षा कक्ष, हाल एवं कार्यालय आदि के साथ ही परीक्षार्थियों, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों को सेनेटाइज किये जाने की व्यवस्था हैं अथवा नहीं।

उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा कोविड–19 के सम्बद्ध समय–समय पर जारी होने वाले दिशा–निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

(कुलदीप सिंह)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. मा0 कुलपति जी।
2. कुलसचिव जी।
3. नोडल अधिकारी– समस्त नोडल केन्द्र।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी।
5. अधीक्षक परीक्षा गोपनीय / अति गोपनीय / सम्बद्धता।
6. प्रभारी विश्वविद्यालय वेवसाइट को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त सम्मानित दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय से कि जन साधारण के सूचनार्थ निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

परीक्षा नियंत्रक

Scanned with CamScanner